

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना मेरठ जोन, मेरठ।

1. मेरठ जोन, मेरठ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
2. जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचना जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गई सूचना का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
3. सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- जनसूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचना जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गई सूचना का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
4. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित सूचना का दिया जाना एवं मांगी गई सूचना का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
5. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।


6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है।

- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - शासन/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - अपीलिय प्रार्थना पत्र
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
 10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 14. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-शून्य
 15. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16. लोक सूचना अधिकारीयों के नाम व पदनाम-अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ कार्यालय में लोक सूचना अधिकारीयों की नियुक्ति निम्नलिखित है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1.	श्री राजीव सभरवाल	अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ/प्रथम अपीलीय अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध की गयी अपीलों का निस्तारण करना एवं अपीलों का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
2.	हेमा रोतेला	जनसूचना अधिकारी/निरीक्षक, लेखा	जनसूचना अधिकार-2005 के अन्तर्गत व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गई सूचना का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
3.	श्री सचिन मलिक	सहायक जनसूचना अधिकारी/ निरीक्षक, ना०पु०	जनसूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना जो इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित है, का दिया जाना एवं मांगी गई सूचना का सम्बन्ध मेरठ जोन के अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाना।
4.	श्री गौरव चौधरी	मुख्य आरक्षी ना०पु०	जनसूचना अधिकार सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना आलेख प्रस्तुत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।



31/08/23

(राजीव सभरवाल)

अपर पुलिस महानिदेशक,
मेरठ जोन, मेरठ।